

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प कोर्ट

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ओडा
व भू.अ.नि. रूपलाल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगर / नायब
तहसीलदार रेलमगर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुरारण में ग्राम ओडा तहसील रेलमगर व
जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 81 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
10	ओडा	81	रुपल पुत्र (तोल) जाति-तेली	रुपलाल पुत्र (तोल) जाति-तेली

उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
रेलमगर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक:- 304

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 10/10/25

1. तहसीलदार रेलमगर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री रुपलाल पुत्र (तोल) को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
रेलमगर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर